# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-03/17**

श्रीमती श्यामलता मोहनलाल, — आवेदक
पुखराज कॉलोनी, बड़वाह,
जिला–खरगोन (म.प्र.)
द्वारा– मेसर्स प्रेम टेक्सटाईल्स इंटरनेशनल प्रा.लि.,
21–सी, सॉवेर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बड़वाह (म.प्र.)

## आदेश

**(दिनांक 26.05.2017 को पारित)**

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0355916 श्रीमती श्यामलता मोहनलाल, बड़वाह विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर में पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–03/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 4.5.2017 को सुनवाई में आवेदन के प्रतिनिधि श्री एम.सी. बड़जाटिया उपस्थित हुए परन्तु अनावेदक अनुपस्थित रहे।

04 आवेदक द्वारा अपने प्रकरण के पक्ष में अवगत कराया गया कि उनकी फर्म द्वारा विवादित परिसर दिनांक 1.9.2013 को किराये पर लिया गया था। किराये पर लेने के उपरांत से अभी तक उनके परिसर में स्थापित मीटर को 4 बार बदला जा चुका है। सतर्कता विभाग द्वारा उनके परिसर का दिनांक 26.6.2014 को निरीक्षण किया गया जिसमें कि उनके स्वीकृत भार 7 किलोवाट से 15 किलोवाट पाया गया तथा मीटर में रीडिंग 8850014 पाई गई।

05 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त मीटर परीक्षण हेतु जप्त किया गया तथा जून, जुलाई एवं अगस्त 2013 के माह में दर्ज खपत की औसत खपत 433 यूनिट प्रतिमाह की दर से निरीक्षण की तिथि से एक वर्ष पूर्व का संशोधित बिल रूपये 23,829/– भुगतान हेतु दिया गया।

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विवादित परिसर दिनांक 1.9.2013 से किराये पर लिया गया अतः आवेदक द्वारा जून, जुलाई एवं अगस्त 2013 की खपत का औसत लेकर पूरे एक साल की बिलिंग करना उचित नहीं है।

07 आवेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा पिछले 12 माह की खपत का निर्धारण माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2013 की खपत का औसत के आधार पर किया गया है जो कि अनुचित है क्योंकि इस अवधि में भवन का उपयोगकर्ता और मालिक तथा वर्तमान में भवन का मालिक एवं उपयोगकर्ता भिन्न हैं।

08 आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत कनेक्शन काटने की बार–बार धमकी देने के कारण रूपये 13,980/– विद्युत चार्जेस तथा रू. 9300/– लाईन अफोर्डिंग चार्जेस के मद में दिनांक 13.12.2014 को जमा करा दिया ।

09 उपरोक्त मीटर का परीक्षण दिनांक 30.6.2014 को मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में आवेदक के प्रतिनिधि के सम्मुख किया गया। परीक्षण रिपोर्ट में मीटर इरेटिक होना दर्शाया गया, परन्तु इरेटिक होना के क्या कारण थे इसका उल्लेख नहीं किया गया तथा डायल टेस्ट में परीक्षण के दौरान मीटर की रीडिंग में 1 यूनिट की वृद्धि हुई।

10 सुनवाई के दौरान दिये गये तर्क एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से कुछ बिन्दु स्पष्ट नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न जानकारी के साथ अगली तिथि दिनांक 19.05.2017 को सुनवाई में उपस्थित रहें –

अ दिनांक 13.3.2013 को स्थापित मीटर की डिस्पोजल स्लिप एवं मीटर की प्रारंभिक तथा अंतिम रीडिंग प्रस्तुत करें।

ब दिनांक 10.5.2015 को स्थापित मीटर की डिस्पोजल स्लिप एवं मीटर की प्रारंभिक तथा अंतिम रीडिंग प्रस्तुत करें।

स दिनांक 14.1.2016 को पुनः मीटर बदला गया जिसकी डिस्पोजल स्लिप एवं प्रारंभिक तथा अंतिम रीडिंग प्रस्तुत करें।

द दिनांक 13.3.2013 से अप्रैल 2017 तक की अवधि का मीटर रीडिंग का विवरण प्रस्तुत करें।

11 दिनांक 19.5.2017 को आवेदक के प्रतिनिधि श्री एम.सी. बड़जाटिया, महाप्रबंधक, मेसर्स प्रेम टेक्सटाईल्स उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री, बड़वाह उपस्थित हुए।

12 अनावेदक द्वारा दिनांक 4.5.2017 को चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई। तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर में स्थापित एमको कंपनी के मीटर के स्थान पर एलीभर कंपनी का मीटर लगाया जाना बताया। परन्तु एलीमर कंपनी का मीटर कब एवं किस प्रारंभिक रीडिंग पर लगाया गया इसकी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। एलीमर कंपनी का मीटर दिनांक 26.4.2015 को एवन कंपनी के मीटर से बदला गया तथा ये मीटर दिनांक 15.1.2016 को सीक्योर कंपनी के मीटर से बदला गया जो वर्तमान में स्थापित है।

13 अनावेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.6.2014 को सतर्कता दल द्वारा परिसर के निरीक्षण करने के बाद एमको कंपनी का मीटर परीक्षण हेतु निकाला गया था तथा उसके स्थान पर नया मीटर एलीभर कंपनी का जून या जुलाई 2014 में लगाया गया।

14 दिनांक 19.5.2017 को अनावेदक द्वारा मीटर इरेटिक घोषित करने के क्या कारण थे इस संबंध में जानकारी नहीं दे सके। अतः उन्हें मीटर परीक्षण विभाग का परीक्षण रजिस्टर तथा स्थिति स्पष्ट करने हेतु एलटीएमटी के इंचार्ज के साथ अगली तिथि दिनांक 24.5.2017 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया ।

15 दिनांक 24.5.2017 को आवेदक अपनी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक की ओर से श्री लक्षमण सिंह, कार्यपालन यंत्री, श्री जी.एस. राजपूत, सहायक यंत्री, एवं श्री हेमेश बंसल, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए।

16 अनावेदक द्वारा एलटीएमटी प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार मीटर परीक्षण के दौरान डायल टेस्ट में मीटर द्वारा 8.8 यूनिट खपत की जाना दर्शाई गई है। जबकि एलटीएमटी इंचार्ज के कथन के अनुसार स्टेण्डर्ड मीटर के द्वारा 10 यूनिट खपत दर्शाई गई। इस प्रकार आवेदक के परिसर में लगा हुआ मीटर लगभग 12 प्रतिशत धीरे चलना पाया गया ।

17 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर से जप्त किया गया मीटर फरवरी 2013 मे लगाया गया था तथा उस सयम परिसर का संयोजित भार 15.08 किलोवाट था। संयोजित भार की तुलना में मीटर कम खपत दर्ज कर रहा था।

18 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 30.6.2014 को मीटर परीक्षण के दौरान मीटर भौतिक रूप से सही पाया गया तथा डायल परीक्षण में इरेटिक परिणाम प्राप्त हुए जिससे कि यह स्पष्ट है कि मीटर की रीडिंग का जम्प (Jump) हुई है।

19 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35(ब) के प्रावधान के अनुसार मापयंत्र त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के

मासिक औसत के आधार लिया जाएगा। अतः मीटर के तीन माह के खपत के आधार पर उनकी खपत निर्धारित की गई। अतः उपभोक्ता का यह कथन कि मीटर की जॉच की दिनांक 26.6.2014 से पिछले 3 माह की रीडिंग से गणना की जाना मान्य नहीं है।

20 उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क, लिखित वहस एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निम्न तथ्य सम्मुख आये–

अ आवेदक द्वारा विवादित परिसर दिनांक 1.9.2013 से किराये पर लिया गया। (ओई–4)

ब अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी स्टेटमेंट (ओइ–5) के अनुसार एमको कंपनी का मीटर 9.2.2013 को प्रारंभिक रीडिंग 00 पर स्थापित किया गया था।

स मीटर डायरी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रीडिंग लेते समय मीटर की वर्किंग कण्डीशन ठीक दर्शाई गई तथा मीटर द्वारा निरंतर खपत दर्ज किया जाना दर्शाया गया।

द सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 26.6.2014 को परिसर का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में स्वीकृत भार 7 किलोवाट के विरूद्ध 15 किलोवाट लोड पाया गया तथा मीटर रीडिंग 8850014 पाई गई। जबकि 18.6.2014 को मीटर रीडर द्वारा 3500 रीडिंग ली थी। जिसके अनुसार मई से जून की अवधि में 253 यूनिट खपत दर्ज हुई जो पिछले महीनों की खपत से तुलनात्मक ठीक है।

च सतर्कता विभाग द्वारा एमको कंपनी का मीटर क्र. 42011116 को दिनांक 2.7.2014 को निकालने पर अनावेदक द्वारा उनके परिसर में एलीमर कंपनी का मीटर लगाया जिसकी प्रारंभिक रीडिंग 02 थी।

छ मीटर डायरी (ओई–5) के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मीटर रीडर द्वारा जुलाई 2014 से अप्रैल 2015 तक एमको कंपनी का मीटर (जो कि बदला जा चुका था) के आधार पर बिना रीडिंग लिये अपने मन से रीडिंग बनाकर डायरी में अंकित करता रहा। इसके पश्चात उपरोक्त त्रुटि के संज्ञान में आने पर उक्त मीटर पुनः नये मीटर एवन (AVON) कंपनी के मीटर से बदल दिया गया जिसका सीरियल नं. 1050347 था तथा जिसकी प्रारंभिक रीडिंग 02 थी। जिसके पश्चात यह मीटर भी सीक्योर (secure) कंपनी के मीटर से दिनांक 15.1.2016 को बदला गया।

ज एमको कंपनी का मीटर नं. 42011116 के परीक्षण में मीटर को इरेटिक बताया गया एवं अनावेदक द्वारा भी अपनी लिखित प्रत्युत्तर में मीटर रीडिंग का जम्प होना बताया। परन्तु परीक्षण प्रतिवेदन में इरेटिक होने का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया।

21 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने से पूर्व म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35(ब) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

***8.35 (ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के***

*मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगें जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।*

उपरोक्त कंडिका से यह स्पष्ट है कि मीटर के डिफेक्टिव होने की तिथि के पूर्व के तीन माह में दर्ज की गई खपत का औसत लेकर त्रुटिपूर्ण अवधि की बिलिंग की जानी है अथवा नये मीटर स्थापित होने के पश्चात उसके द्वारा अगले तीन माह में दर्ज की गई खपत के औसत के अनुसार बिलिंग की जा सकती है।

**अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि–**

अ परीक्षण रिपोर्ट में मीटर का इरेटिक होने की ना तो व्याख्या की गई ना ही इरेटिक होने का स्पष्ट कारण बताया गया। हालाकि मीटर रीडिंग को जम्प (Jump) होने को स्वीकार किया गया ।

ब आवेदक को जून, जुलाई एवं अगस्त 2013 के माहों में अंकित खपत के आधार पर औसत बिल दिया गया, जबकि इस अवधि में आवेदक परिसर में निवासरत नहीं था। अतः इन माहों में दर्ज की गई खपत उनके द्वारा नहीं की गई थी।

स अनावेदक द्वारा स्वयं अपनी लिखित वहस में यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडिंग जम्प हुई थी परन्तु परीक्षण से यह सिद्ध नहीं होता है कि पिछले 12 माहों से लगातार रीडिंग जम्प होती रही थी, इसकी पुष्टि मीटर रीडिंग डायरी से होती है क्योंकि मीटर में लगातार मीटर रीडिंग एवं खपत दर्ज की जाना पाया गया एवं मीटर की वर्किंग कंडीशन ठीक पाई गई का उल्लेख है। (ओई–5)। अतःएमको कंपनी का मीटर जो कि दिनांक 9. 2.2013 को लगाया गया था, लगाने की तिथि से ही डिफेक्टिव था सिद्ध नहीं होता।

द डायल टेस्ट के दौरान विवादित मीटर द्वारा 8.8 यूनिट की खपत दर्ज होना एवं स्टेण्डर्ड मीटर में 10 यूनिट की खपत दर्ज होने के कारण मीटर को 12 प्रतिशत धीमा होना बताया गया। परन्तु आवेदक को दी गई परीक्षण रिपोर्ट में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि एलटीएमटी प्रयोगशाला में बाद में

इसकी इन्ट्री की गई हो अन्यथा नियमानुसार आवेदक को संपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी।

22 दिनांक 2.7.2014 को भी परिसर में स्थापित एमको कंपनी के मीटर को परीक्षण हेतु निकालने पर जो मीटर लगाया गया उसका कहीं उल्लेख मीटर रीडिंग डायरी में नहीं मिला। परन्तु बदलने की तिथि दिनांक 2.7.2014 अंकित की जाना पाया गया । मीटर रीडिंग डायरी में मीटर रीडिंग पूर्वोत्तर मीटर एमको कंपनी के लगत में लिया जाना एवं खपत दर्शाना पाया गया जो यह इंगित करता है कि मीटर रीडर द्वारा परिसर में जाकर मीटर रीडिंग नहीं ली गई अन्यथा उसे नये मीटर में दर्ज रीडिंग एवं खपत की सत्यता का पता चलता। इस प्रकार यहॉ मीटर रीडिंग लेने में मीटर रीडर की घोर लापरवाही एवं कार्य में सेवा में कमी पाई गई, क्योंकि जुलाई 2014 से अप्रैल 2015 तक लगातार अपने मन से मीटर रीडर द्वारा रीडिंग भरी जाती रही तथा बाद में मीटर को प्रारंभिक रीडिंग पर बंद घोषित कर दिया गया, अतः मीटर बदलने के पश्चात मीटर रीडिंग डायरी में स्वेच्छा से भरी गई रीडिंग को आधार मानकर आवेदक को औसत बिल दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः न्याय की दृष्टि से केवल माह जून एवं जुलाई 2014 के लिए पिछले 3 माह मार्च, अप्रैल एवं मई, 2014 माहों में आवेदक द्वारा की गई खपत की औसत खपत के आधार पर बिल संशोधित किया जाना उचित होगा। ।

**अतः आदेशित किया जाता है कि –**

अ अनावेदक केवल माह जून, 2014 के लिए संशोधित बिल मार्च, अप्रैल एवं मई 2014 की खपत के औसत यूनिट के आधार पर आवेदक को दें।

ब पूर्व में एक वर्ष हेतु औसत खपत का दिया गया बिल रू. 23,829/– निरस्त किया जाए।

स आवेदक द्वारा पूर्व में दिये गये संशोधित बिल में कोई राशि जमा की गई हो तो उसका समायोजन आवेदक के अगले विद्युत बिल में किया जाए।

द फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

23 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

24 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**